

# उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि.

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला,  
(निदेशालय, जनजाति कल्याण परिसर) देहरादून, उत्तराखण्ड

पत्रांक / १८४ / बहु.नि.-विज्ञापन / 2024-25,

दिनांक - 27/01/2025  
दिसम्बर, 2024

## संशोधित विज्ञापित सूचना

दिनांक 06.12.2024 एवं 18.12.2024 को प्रकाशित विज्ञापित में Project Implementation Unit (पी.आई.यू.) में 01 प्रोग्रामर सह समन्वयक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के सम्बन्ध में तीन बार तिथि में परिवर्तन करने के पश्चात् भी निर्धारित मानक के अनुरूप आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण उक्त पद में आंशिक संशोधन किया गया करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि दिनांक 05 फरवरी, 2025 निर्धारित की जाती है। संशोधित विज्ञापित का विवरण एवं अन्य विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट [www.ukbvvn.org.in](http://www.ukbvvn.org.in) पर देखी जा सकती है।

  
प्रबन्ध निदेशक

# उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. (मुख्यालय)

(प्रशासनिक विभाग—समाज कल्याण, उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)  
शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, (निदेशालय, जनजाति कल्याण परिसर), देहरादून-248001,  
उत्तराखण्ड


उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम समाज के लक्षित वर्गों के आर्थिक, सामाजिक एवं कौशल विकास के कार्यक्रमों का संचालन करता है। इन योजनाओं में विभिन्न राज्य योजनाओं के अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाएँ भी शामिल हैं। कई योजनाएँ विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से डिजाइन और कार्यान्वित की जाती हैं, जिनकी समय-समय पर निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुसंधान, विश्लेषण आदि कार्यों हेतु गठित पी.आई.यू. में 01 प्रोग्रामर सह समन्वयक पद हेतु प्रतिभाशाली, नवोन्मेषी और गतिशील पेशेवरों से आवेदन आमंत्रित कर रही है। पद व योग्यता का विवरण नीचे दिया गया है -

1	पद नाम	प्रोग्रामर सह समन्वयक
2	पदों की संख्या	01 (एक)
3	चयन की प्रक्रिया	निगम की उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर
4	आयु सीमा	विज्ञापन प्रकाशन तिथि को अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए।
5	कार्य अवधि	11 माह
6	मानदेय (प्रति माह)	रु. 40,000/- (समस्त कर सहित)
7	शैक्षिक योग्यता	<p><b>अनिवार्य -</b></p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बी.सी.ए./बी.टैक।</li> <li>उत्तराखण्ड सरकार के तकनीकी विभागों यथा आई.टी.डी.ए., एन.आई.सी. में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दी हो।</li> <li>राज्य सरकार/भारत सरकार विकास कार्यों सम्बन्धी प्रोजेक्ट में कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव।</li> </ul> <p><b>प्राथमिकता -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>भारत सरकार के किसी परियोजना में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र।</li> <li>उत्तराखण्ड का निवासी होने का तथा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र। (जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी स्तर से जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए)</li> </ul>
8	कार्य प्रकृति	<ul style="list-style-type: none"> <li>उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में संचालित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुसंधान, विश्लेषण आदि कार्यों हेतु नीति निर्माण और दीर्घकालिक रणनीति के लिए जिम्मेदार होंगे।</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• नीति अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित विश्लेषण का संचालन और प्रबंधन करना</li> <li>• बैठकें, कार्यशालाएँ आयोजित करना, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना</li> <li>• विभाग के भीतर समन्वय करना और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भी समन्वय करना</li> <li>• वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे जा रहे अन्य कार्य</li> </ul>
9	कार्य स्थल	निगम मुख्यालय, देहरादून अथवा हल्द्वानी

आवेदन जमा करना – इच्छुक अभ्यर्थी 05 फरवरी, 2025 सायं 04:00 बजे से पहले निगम मुख्यालय की मेल आईडी – [vikasnigam12@gmail.com](mailto:vikasnigam12@gmail.com) पर अपना Curriculum Vitae (पाठ्यक्रम विवरण) भेजकर आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट [www.ukbvvn.org.in](http://www.ukbvvn.org.in) पर उपलब्ध है।

चयन प्रक्रिया – निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल द्वारा की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को निगम मुख्यालय, देहरादून/क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी में प्रोग्रामर सह समन्वयक के अस्थाई रूप में कार्य हेतु अनुबंधित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रबंध निदेशक (विभागाध्यक्ष) का निर्णय अंतिम होगा।

  
 प्रबंध निदेशक